पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर0/प्रवर्तन–अनु0/2015–16

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(प्रवर्तन–अनुभाग)
देहरादून :: दिनांक :: 06 जून, 2015

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर
एवं समस्त वाणिज्य कर अधिकारी उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–48 के अन्तर्गत घोषणा पत्र द्वारा राज्य के बाहर से माल आयात करने सम्बन्धी प्राविधानों को इंगित किया गया है। धारा–48 की उपधारा (2) में इस आशय के प्राविधान किए गए हैं कि यदि आयातकर्ता द्वारा प्रान्त के अन्दर माल का आयात किया जाता है तो माल के साथ **फॉर्म–16** के रूप में घोषणा पत्र व अन्य दस्तावेज साथ लेकर माल का परिवहन किया जाएगा। धारा–48 की उपधारा (8) में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा यह पाये जाने पर कि व्यापारी द्वारा अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत माल का आयात नहीं किया गया है, तो व्यापारी पर माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के इन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर का तीन गुना जो भी अधिक हो अधिरोपित करेगा।

उपधारा (9) में यह प्राविधान किया गया है कि माल का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी अर्थदण्ड आरोपित करने से पूर्व सम्भावीय अर्थदण्ड को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि को नकद जमा करने का आदेश दे सकता है।

उपधारा (10) में कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, उपधारा (9) में अंकित धनराशि से कम धनराशि अथवा बिना कोई धनराशि जमा किए माल को छोड सकता है।

विभाग द्वारा आयात हेतु घोषणा पत्र **फॉर्म–16** के सम्बन्ध में एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसमें केता–विकेता व्यापारी द्वारा आयात किए जा रहे माल का विवरण सीधे ऑनलाइन दाखिल किया जायेगा तथा ट्रिपशीट बनाने में यह विवरण डाटाबेस के जरिये ट्रिपशीट पर आ जायेगा, किन्तु इस प्रकिया में कोई **फॉर्म–16** प्रिन्ट आउट के रूप में जनरेट नहीं होगा।

मुख्यालय के परिपत्र पत्रांक 1391 आयु0क0उत्तरा0/वा0कर0/विधि–अनु0/ 2015–16 दिनांक 06–06–2015 द्वारा **e-Form-16** का प्रयोग दिनांक 16–06–2015 से प्रारम्भ किया जाना है, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 500 करोड़ से अधिक के टर्नओवर के 64 फर्मों को उक्त हेतु अनुमन्य किया गया है (सूची संलग्न)। चूँकि वैट अधिनियम की धारा–48 के प्राविधानों के अनुसार माल के साथ **फॉर्म–16** की हस्ताक्षरित प्रति लेकर चलना है, अतः नये ऑनलाइन फॉर्म के प्राविधान को देखते हुए निम्न प्रकार आदेश दिये जाते हैं–

"यदि व्यापारी द्वारा माल आयात करने के लिए e-Form 16 का प्रयोग किया गया है एवं इसकी घोषणा ट्रिपशीट पर कर दी गयी है तो ऐसे e-Form 16 के प्रिन्टआउट को माल के परिवहन के दौरान माल के साथ न लेकर चलने की दशा में ऐसे माल के सम्बन्ध में कोई जमानत न जमा करायी जाए एवं न ही किसी प्रकार की अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाए।"

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से करना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

2352
08/06/15

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

क्रमशः पेज–2